न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 53/2013

विक्रमसिंह पुत्र मुंशी जाति फौजदार निवासी तुहिया तह0 व जिला भरतपुर। .....वादी

बनाम

जलसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति फौजदार निवासी तुहिया तह0 व जिला भरतपुर। .....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं 92(ए) राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 11—10—2019

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अंतर्गत धारा 188 एवं 92(ए) आर.टी.ए. विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नं0 1437/0.21 का वादी खातेदार काश्तकार काबिज है जिसमें दक्षिण पश्चिम कोने में मेंड़ के सहारे वादी का सिंचाई हेतु ट्यूबवैल लगा हुआ है। वादी के उक्त खेत के दक्षिण लगा हुआ प्रतिवादी का खेत खसरा नंबर 1441/0.22 वाके ग्राम तुहिया तह0 भरतपुर में स्थित है जिसमें आज दिन तक कोई ट्यूबवैल लगा हुआ नहीं है। दि0 20.12.2012 को प्रतिवादी ने वादी के उक्त खेत में स्थित ट्यूबवैल से 5—7 फुट की दूरी पर अपने खेत खसरा नंबर 1441 में उत्तरी पश्चिमी कोने पर मेंड़ के सहारे अपना बोरवैल कराने हेतु कुइया खोदना शुरू कर दिया है वादी के पूछने व मना करने पर स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी इसी स्थान पर वादी के ट्यूबवैल के पास अपना ट्यूबवैल लगा देगा, जबकि कानूनन एक ट्यूबवैल से दूसरे ट्यूबवैल की दूरी कम से कम 200 गज होनी चाहिए।

यदि प्रतिवादी उक्त ट्यूबवैल को लगाने में सफल हो जाता है तो वादी को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी धनराशि से नहीं हो सकेगी, क्योंकि वादी का ट्यूबवैल का पानी

सूख जावेगा और ट्यूबवैल का पानी खारा हो जावेगा। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है। वाद का कारण दि0 20.12.2012 को प्रतिवादी द्वारा पानी के ट्यूबवैल से चिपटमा अपने खेत में अपना ट्यूबवैल लगाने की धमकी देने से पैदा हुआ है।

इस प्रकार वादी द्वारा दावा प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी अपने खेत खसरा नंबर 1441/0.22 से वादी के खेत खसरा नंबर 1437/0.21 में स्थित ट्यूबवैल से 200 गज दूरी के बीच कोई ट्यूबवैल स्थापित नहीं करे अर्थात प्रतिवादी वादी के ट्यूबवैल से 200 गज दूरी तक अपने खेत में कोई ट्यूबवैल नहीं लगावे। वादी ने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत 2067–2070 की 2 किता नकल प्रस्तुत की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी रजिस्टर्ड सम्मन से भी सूचित होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध दि0 13.11.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साथ ही वादी को साक्ष्य हेतु काफी अवसर देने के बाद भी साक्ष्य पेश न करने पर दिनांक 02.08.2019 को साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी स्वीकार किए जाने का निवेदन करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस पर मनन किय। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हाल खसरा नं0 1437 का खातेदार वादी है तथा 1441 का खातेदार प्रतिवादी जलसिंह है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी की जा रही हो। जहां तक वादी का यह कथन है कि प्रतिवादी के खेत से 5–7 फुट दूरी पर अपने खसरा नंबर 1441 में उत्तरी पश्चिमी कोने पर मेंड़ के सहारे बोर वैल लगाने हेतु कुइया खोद रहा हो, तो इस संबंध में कोई भी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं की है तथा यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यदि प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा हे तो वादी द्वारा उक्त कार्य को रुकवाने हेतु

संबंधित तहसीलदार को शिकायत देनी चाहिए थी तथा मौके की वस्तुस्थिति मंगानी चाहिए थी परंतु वादी द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। जहां तक बोर वैल हेतु कुइया खोदने का प्रश्न है तो इसके संबंध में न्यायालय का मत है कि इसक लिए प्रतिवादी द्वारा सक्षम अधिकारी से ट्यूबवैल लगाने व कुइया खोदने की स्वीकृति ली जानी आवश्यक होती है। इसके अभाव में बोरवैल स्वतः ही स्थापित नहीं हो सकता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official